

मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 20.03.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत मारपीट व गाली-गलौज के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गयी ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ 0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना चील्ह पर मारपीट व गाली-गलौज के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा 0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-योगेश कुमार त्रिवेदी, विवेचक-उपनिरीक्षक दयाशंकर, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी पंकज गौड़ तथा पैरोकार-आरक्षी राममूरत यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरूप मा 0 न्यायालय अपर सिविल जज(सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नम्बर-02 मीरजापुर-अंजुम सैफी द्वारा थाना चील्ह पर पंजीकृत एनसीआर नं 0-31/2007 धारा 323,504 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त काशीनाथ दूबे पुत्र कमलाशंकर दूबे निवासी महानन्दपुर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।